भारत में कृषि ऋण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

61

प्राप्तिः 08.08.2024
स्वीकृतः 15.09.2024

श्रीमती भावना यादव,
सहायक प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग,
कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर
ईमेलः *bhavna_y2004@yahoo.co.in*

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। परंतु कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत का कृषि अत्यधिक पिछड़ा हुआ है एवं किसानो की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वे इतनी आय प्राप्त नहीं कर पाते की उचित तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन कर सकें इसलिए भारत में कृषि ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां अपनाई गई है परंतु अभी भी भारत के बहुत से किसान ऐसे हैं जो उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस शोध पत्र का उद्देष्य भारत में कृषि ऋण की समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनके लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना एवं संभावित उपाय जानना है।

मुख्य शब्द

संस्थागत स्त्रोत, गैर संस्थागत स्त्रोत, अपर्याप्तता, क्षेत्रीय असमानता, आधुनिकीकरण

परिचय

भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के समग्र विकास में योगदान देता है। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना गया है एवं इसका विकास खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक है। भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। इसमें वर्ष 2021–22 में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। 2020–21 में, भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछली वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। 2021–22 के दौरान,कृषि निर्यात 50.2 बिलियन (अरब) अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए कृषि का विकास हमारे देश मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर देश के समग्र विकास मे योगदान करता है। भारत मे किसानों की स्तिथि अत्यंत दयनीय है एवं वे आय काम होने के कारण कृषि आगम खरीदने मे सक्षम नहीं हो पाते इसलिए कृषि मे उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि ऋण एक माहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कृषि ऋण हेतु सभी स्त्रोत दो भागों में बांटें जाते हैं – संस्थागत स्रोत एवं गैर संस्थागत स्त्रोत संस्थागत स्त्रोत : संस्थागत स्त्रोत में सहकारी ऋण समितियाँ, सरकार, भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, माइक्रो फाइनैन्सिंग संस्थाएं आदि आते हैं।

गैर संस्थागत स्त्रोतः गैर संस्थागत स्त्रोतों में साहूकार, व्यापारी और कमिशन एजेंट, रिश्तेदार, जमींदार आदि आते हैं। गैर संस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त ऋणों पर किसानों को अधिक ब्याज की दर देनी पड़ती है एवं कई बार ठगी के करण अपनी भूमि से हाथ भी धोना पड़ता है। संस्थागत स्त्रोतों में कमी एवं उन तक पहुंच न होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत में कृषि ऋण का इतिहास और विकास

भारत में कृषि हेतु ऋण प्राचीन काल से दिया जा रहा है संकट के दौरान किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए शासको द्वारा ऋण दिया जाता था संस्थागत कृषि ऋण की शुरुआत तकावी की प्रणाली से हुई, भारत में तुगलकों द्वारा तकावी ऋण दिए गए। ब्रिटिश काल एवं आजादी के समय में किसानों के ऋण का मुख्य स्रोत जमींदार होते थे जो बहुत अधिक मात्रा में ब्याज लिया करते थे एवं अन्य कुरीतियों द्वारा किसानों को ठगा करते थे तथा उनसे उनकी उपज का बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में ले लिया करते थे। 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया और समितियां को ऋण देने वाली प्रमुख संस्था माना गया । 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ जिसके बाद कृषि ऋण प्रदान किए गए। कृषि ऋण वर्तमान में कृषि आगम का एक मुख्य भाग हैं एवं वर्तमान सरकारों द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एवं किसानो की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जा रहीं हैं जिसमे किसानों को वित्तीय सहायता देना प्रमुख हैं, जिस से किसान नई तकनीकों के द्वारा अपनी आय बढ़ा सकें एवं देश का विकास हो सके ।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 के अनुसार वर्ष 2020–21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15,00,000 करोड़ का था इसके विरूद्ध कृषि ऋण प्रवाह [1] 15,75,398 करोड़ रहा। वर्ष 2021–22 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य निर्धारित किया गया 16,50,000 करोड़ और 30 सितंबर, 2021 तक इस लक्ष्य के विरुद्ध[1] 7,36,589.05 करोड़ की राशि वितरित कर दी गई।

व्यापारिक बैंक द्वारा भारत में उपलब्ध कृषि ऋण के कुछ प्रकार

• **फसल ऋणः** फसल ऋण को किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है । ये खेती के मौसम के दौरान किसानों की अल्पकालिक वित्तीय अवस्यताओ जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए के लिए दिए जाते हैं। फसल ऋण फसल कटने के बाद चुकाए जाते हैं।

• **कृषि स्वर्ण ऋणः** इस ऋण का उपयोग भी मुख्य रूप से बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने के लिए सोने के आभूषणों तथा सिक्कों के विरुद्ध दिया जाता है।

• **कृषि मशीनीकरण ऋणः** कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए लम्बी अवधि के लिए एवं आधुनिक कृषि पद्यतियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण ऋण दिया जाता है जिस से उत्पादन में वृद्धि हो सके । इसमें अधिक मात्रा में निवेश होता है इसलिए ये लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं।

• **भूमि खरीद ऋणः** यह ऋण भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों द्वारा कृषि भूमि खरीदने के लिए लिए जाते हैं। भूमि खरीद ऋण दीर्घकालिक ऋण होते हैं एवं पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

• **पशुधन ऋणः** कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन या डेयरी पालन में लगे किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये जाते हैं। ये ऋण किसानों को पशुधन खरीदने, उनके लिए शेड बनाने, चारे में निवेश करने और पशुओं हेतु आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए दिए जाते हैं।

भारत में कृषि ऋण की समस्याएँ

ऋण की भारत में विषेश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदाओं की बढ़ती कीमतों और उत्पादन की उच्च लागत के समय में किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रणाली अपर्याप्त है।

• **मंजूरी की अपर्याप्तताः** कृषि क्षेत्र के लिए स्वीकृत ऋण की राशि कृषि कार्यों के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। चूंकि ये ऋण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए किसान अक्सर ऐसे ऋणों को अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं जिससे ऐसे ऋणों का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है एवं वे उनुत्पादक हो जाते हैं और ऋण वापसी की समस्या आती है ।

• **गरीब किसानों की ओर ध्यान का अभावः** जिन किसानों को वास्तव में ऋण की आवश्यकता है, उनके पास ऋण तक पहुंच नहीं है और जो लोग संपन्न हैं, वे अपनी साख के कारण ऐसे लाभों का आनंद ले रहे हैं जिस की कारण इन ऋणों का उदेश्य खत्म हो जाता है ।

• **संस्थागत कवरेज का अभावः** किसानों को ऋण देने वाली कई संस्थागत ऋण एजेंसियां हैं, लेकिन वे देश के संपूर्ण ग्रामीण कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

• **नौकरशाही की अड़चनें और लालफीताशाहीः** भारत में क्रेडिट एजेंसियों के पास बहुत सारे नियम और औपचारिकताएं हैं जिनका किसानों को ऋण लेने के लिए पालन करना पड़ता है। ये बोझिल एवं पेचीदा नियम किसानों को अंततः ऋण के गैर–संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करते हैं जो किसी न किसी तरह से उनका शोषण करते हैं। कई बार संस्थागत स्त्रोतों से ऋण एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए भी उन्हें अत्यधिक मात्र मे व्यय करना पड़ता है।

• **ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानताः** राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर ऋण वितरण में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असमानता रही है। छोटे गांवों में कई किसान ऋण के मामले में वंचित रह जाते हैं और कभी कभी गांवों में भी असमानता होती है, जिसके कारण जरूरतमन्द किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पाता ।

• **ऋणों का भुगतान न करनाः** किसानों की कम आय के कारण, कई बार वे अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी साख की कमी के कारण उन्हें उन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में बाधा आती है, जिनका वे भविष्य में लाभ उठा सकते हैं।

• **भूमि संबंधी कानूनः** कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए, आर बी आई द्वारा नोट किया गया कि उचित भूमि पट्टे की रूपरेखा के अभाव में और अभिलेखों के अभाव, भूमिहीन मजदूर, बटाईदार, किरायेदार किसान, और मौखिक पट्टेदारों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह रुकावट पैदा करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है।

सरकारी योजनाएं

• किसान क्रेडिट कार्ड योजनः यह योजना कृषि क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 1998 में शुरू की गई थी। किसान फसल उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए धन निकाल सकते हैं। यह योजना किसानों को साहूकारों की शोषणकारी प्रथाओं से मुक्त कराना चाहती है।

• अग्रणी बैंकः हाल के दिनों में किसानों को कृषि ऋण की पेशकश कर रहे हैं। उनमें से कुछ में भारतीय स्टेट बैंक कृषि ऋण, एचडीएफसी कृषि ऋण, बैंक ऑफ बड़ौदा कृषि ऋण और अन्य शामिल हैं।

• गोदाम रसीदों पर ऋणः किसान गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू. डी. आर. ए.) से रसीद दिखाकर खुद को परेशानी में बेचने से रोकने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उसे बस इतना करना होता है कि अपनी उपज को डब्ल्यू. डी. आर. ए. से मान्यता प्राप्त गोदाम में संग्रहित करना है और रसीद प्राप्त करनी है। फिर वह यह रसीद दिखा सकता है एवं उसके आध ाार पर ऋण प्राप्त का सकता है

• इनके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आदि सरकार के द्वारा चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाऐं हैं जिससे उनके ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार होता है।

• नाबार्ड द्वारा सहायता : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बैंक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी कृषि ऋण के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है।

• याज सब्सिडी योजनाएँ : सरकार किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इससे ऋण लेना अधिक किफायती हो जाता है।

• ऋण माफी योजनाएँ : कुछ समय पर सरकार किसानों के ऋण माफ करने के लिए योजनाएँ शुरू करती है, खासकर जब वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं।

• फसल विविधीकरण समर्थन : सरकार किसानों को नई और लाभकारी फसलों में निवेश करने के लिए विशेष ऋण योजनाएँ प्रदान करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

समाधान एवं सुझाव

• सरकार द्वारा उचित रूप से दिए जाने वाले कृषि ऋण की निगरानी की जानी चाहिए ।

• ऋण प्रदान करने वाली सहकारी ऋण समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि भारत में ग्रामीण ऋण का उद्देश्यपूर्ण वितरण हो सके। उन्हें पर्याप्त वित्तपोषण क्षमता से भी सुसज्जित किया जाना चाहिए।

• उधारकर्ताओं और क्रेडिट एजेंसियों के बीच मौजूद बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए।

• भारत का केंद्रीय बैंक और अन्य बड़े बैंक किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार दीर्घकालिक ऋण देने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का प्रयास कर सकते हैं।

• महाजनों और साहूकारों की शक्तियों और नाजायज गतिविधियों की जाँच की जानी चाहिए ताकि वे किसानों का शोषण न कर सकें।

• नौकरशाही की बाधाओं और लालफीताशाही में कमी आनी चाहिए। तर्कसंगत ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने के नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।

• किसानों द्वारा ऋण के वास्तविक उपयोग की निगरानी के लिए एक प्रभावी पर्यवेक्षी तंत्र भी शुरू करने की आवश्यकता है।

• किसानों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली धोखाधड़ी प्रथाओं की जांच करने के लिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जो विभिन्न एजेंसियों से उनके द्वारा लिए गए ऋण के बारे में विवरण मिल सके ।

• समान ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप होना चाहिए

• राज्यों, जिलों और पिछड़े क्षेत्रों के बीच समान ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप होना चाहिए।

• कृषि ऋण में क्षेत्रीय असमानता दूर करना : यह देखा गया है कि कुछ राज्यों को उनकी कृषि उत्पाद अनुपात की तुलना में अधिक ऋण मिल रहा है जिस से कृषि ऋण को अन्य क्षेत्र मैं

लगने की संभावना रहती है। विषेश रूप से मध्य, पूर्वी और उत्तर में यह अनुपात कम है। इस लिए प्रत्येक राज्य को उसके कृषि उत्पाद अनुपात के अनुसार ऋण दिए जाने चाहिए जिससे प्रत्येक क्षेत्र को लाभ मिल सके एवं कृषि क्षेत्र की असमानताओं को दूर किया जा सके।

● लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ऋण : लघु और सीमांत किसानों के पास भूमि की 86 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्पादक जोत की कुल 47 फीसदी हिस्सेदारी है। हालाँकि, केवल 41 प्रतिशत ऐसे किसान हो सकते हैं, जो बैंकों द्वारा कवर किए जाते हैं। द वार्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट (2019) की ऋण देने की सिफारिश के अनुसार लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लक्ष्य 8 से 10 प्रतिशत संशोधित किया जाना चाहिए।

● भूमि सुधार : भूमि पट्टे की रूपरेखा या उचित भूमि स्वामित्व अभिलेखों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए मॉडल के आधार पर सुधार अपनाए जाने चाहिए। इसके लिए नीति आयोग द्वारा दिए गए भूमि पट्टा अधिनियम सुझावों को अपनाया जाना चाहिए।

● कृषि का आधुनिकीकरण एवं उत्पादकता बढ़ाना आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाना भूमि की कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं कृषि योग्य भूमि क्षेत्र.पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय, उच्च मूल्य के लिए विविधीकरण फसलें, और मूल्य श्रृखला विकसित करना, विपणन लागत को कम करने के लिए और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और कृषि अनुसंधान में सुधार और विस्तार के द्वारा किसानों को उत्पादन बढ़ाने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओ के उचित मूल्य मिलने मे सहायता मिलेगी जिससे वे लिए गए ऋणों को चुका सकेंगे।

● रिकवरी दर में सुधार : अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में खराब रिकवरी दर खराब है। विषेश रूप से सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंक के लिए क्यूंकि इन राज्यों मे गरीबी ज्यादा है। जिसके कारण कृषि उत्पादकता कम है। ग्रामीण क्षेत्रों मे एक सुव्यवस्थित बैंकिंग ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए एवं किसानों में ऋणों को वापिस करने के प्रति जागरूकता एवं ऋणों को वापिस करने की क्षमता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे बैंकों को ऋण वापस मिलने की संभावनाएं बढ़े एवं वे आगे भी ऋण देने में न झिझके।

निष्कर्ष

किसी भी कृषि प्रधान देश के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है एवं विकासशील देशों में जहां का कृषि पिछड़ा हुआ होता है एवं कृषि में वित्त की कमी पाई जाती हैं कृषि आगम मैं ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । हमारे देश में कृषि क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है सरकार के द्वारा नीतियां अपनाई गई है परंतु वे अभी सभी तक पहुंच नहीं पाई है, हालांकि संस्थागत क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। नाबार्ड बीमा कंपनियां, सहकारी समितियां,स्वयं सहायता समूह, क्रेडिट संस्थाओं, सरकारी सब्सिडी जैसे अतिरिक्त माध्यम किसानों के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। कृषि ऋण को और व्यापक बनाकर भारत में ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में देश को सहायता मिलेगी एवं देश का आर्थिक विकास हो सकेगा। इसके लिए कृषि नीतियों को और व्यापक बनाने एवं किसानों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. दत्त रुद्र, सुंदरम के पी एम, भारतीय अर्थव्यवस्था, स. चंद एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली
2. RBI (2020), 'Handbook of Statistics on Indian Economy', Reserve Bank of India, Mumbai. RBI (2019),
3. 'Trends and Progress of Bankings in India (2019)', Mumbai
4. Reserve Bank of India (rbi.org.in)
5. https://www.bankofbaroda.in/banking-mantra/loans-borrowings
6. Agriculture Credit to farmers in India - NABARD
7. Taccavi | loan | Britannica
8. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx